



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253361  
CG-DL-E-23032024-253361

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]  
No. 63]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 2024/चैत्र 3, 1946  
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 2024/CHAITRA 3, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

आ.अ. 69(अ).—यतः, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की कश्मीर घाटी में 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण प्रव्रजित हो गए थे और अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रहते आ रहे हैं; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने, ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया कि ये प्रवासी, अपने अस्थायी प्रवास के बावजूद, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों के समावेशन/प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए उनके नामों को निर्वाचन आयोग के आदेश के अधीन 01.01.2024 की अर्हक तिथि के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति दी गई थी।

अब, भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में, वर्ष 2024 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान करने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1- बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी नामांकित पूर्वोक्त ऐसे प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन इसके अतिरिक्त जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा चुका है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन, डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत देने वाले व्यक्तियों के वर्ग के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करता है:

[सं. 3/जम्मू-कश्मीर/लो.स./2024(एन)]

आदेश से,

बी.सी.पात्रा, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

**O.N. 69(E).**—WHEREAS, a number of electors of 1- Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag-Rajouri Parliamentary Constituency in the Kashmir valley of Union Territory of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various places outside their place of ordinary residence; and

WHEREAS, the Election Commission, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants shall continue to be treated as ordinarily residents of their respective places for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the concerned constituency despite their temporary migration and as such their names were allowed to be incorporated in the electoral rolls summarily revised under the order of the Election Commission with reference to **01.01.2024** as the qualifying date;

Now, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 60(c) of the Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the poll in the General Election to the House of the People, to be held in 2024, in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the Representation of the People Act, 1951, hereby notifies the aforesaid migrant electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag-Rajouri, who are residing outside their place of ordinary residence, but other than those who have been specified to vote in person, by the Election Commission under the powers conferred by Article 324 of the Constitution read with Section 25 of the Representation of the People Act, 1951, as the class of persons to give their votes by postal ballot, subject to the fulfillment of the requirements specified in the rules made under the said Act :

[No. 3/J&K-HP/2024 (N)]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.